

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

पटना दिनांक-20.11.07

सं० 17/ए3-06/05.../ए.ए.4(17) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के कान, नाक एवं गला विभाग के निम्नलिखित कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत / सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुसंधान के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से उनकी कार्यकारी प्रोन्नति को नियमित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्यकारी सह-प्राध्यापक का नाम	कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत सह-प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि ।	नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० सुशील कुमार जयसवाल	18.12.03	18.12.03
2	डा० निमल कुमार राय	15.12.03	15.12.03
3	डा० मो० परवेज अख्तर	19.12.03	19.12.03
4	डा० ललित कुमार	15.12.03	15.12.03

- * अधिसूचना में वर्णित क्रमांक दरीयता के शीतक नहीं है ।
- * योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई खूटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

शापांक- 17/ए1-55/97-1004(17) पटना, दिनांक-20.11.07

प्रतिरिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना को सूचना एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिरिपि- महालेखाधर, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अभिलेख के आधार पर यदि किसी व्यक्तिगत के योगदान की तिथि से भिन्नता सुदृष्टगत हो, इसकी सूचना यथाशीघ्र इस विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार इसका सुदृष्टिगत निर्यात किया जा सके ।

सरकार के उप सचिव ।

शापांक- 17/ए1-55/97-1004(17) पटना, दिनांक-20.11.07

प्रतिरिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आगत सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निम्न सहायक / सभी प्राध्यापक/ अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / सभी सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/ आर निदेशक (वि०शि०) के निजी सहायक / सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रशिक्षण पदाधिकारी-17 एवं 1 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।